न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–

मिशल संख्याः– 42 / 2016

संतोष देवी पत्नि श्री रमेशचन्द जाति कीर निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थिया–

बनाम

महावीर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धोबी निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

तहसीलदार दूनी

श्री कुलदीप शर्मा

अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 1569 खसरा नम्बर 3192 रकबा 0.91 हे0 वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थिया की उक्त भूमि के पहले अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि आराजी खाता नम्बर 962, खसरा नम्बर 3030 रकबा 0.07 हे0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में से ही होकर प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि में आती–जाती है तथा काश्तकारी कार्य करती है। लेकिन विधिवत् रूप से रास्ता नही होने के कारण प्रार्थिया को काफी पेरशानीयों का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थिया का उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थिया, अप्रार्थी की उक्त भूमि में से वर्षो से आती जाती रही हैं तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज है और वर्तमान में भी गै0मु0 रास्ता दर्ज है, परन्तु अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गै0मु0 रास्ते को स्वयं के नाम लगवा लिया और प्रार्थिया का रास्ता बंद कर दिया।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी के जवाब / रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के खेत में पहुंचने के लिए संलग्न नक्शा ट्रेस में पीली स्याही दर्शाया हुआ वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, प्राथ्रीया अपने संयुक्त खातेदारी में दर्ज ख. नं. 3192 हिस्सा 1/4 में पहुचने हेतु सरोली मोड से दूनी जाने वाल पक्की डामर सड़क से कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार दूनी के जाने वाली सीसी सड़क से ख. नं. 3191 सिवायचक में मौके पर स्थित (लाल स्याही से दर्शाये गये) कच्चे रास्ते से अपने खतेत ख. नं. 3192 में आसानली से आ जा सकती है। प्रार्थीया की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता ख नं. 3030 जो संलग्न नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाया हुआ है। खातेदार महावीर पु लक्ष्मीनारायण कोम धोबी के नाम 0.

07 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी दर्ज है। चाहा गया रास्ता ख. नं. 3030 दूनी सरोली डामर रोड़ से 70 मीटर दूरी पर स्थित है। डीएलसी दर 33000/–रूपये प्रति एअर है। प्रार्थीया की खातेदारी ख. नं. 3192 रकबा 0.91 है0 खातेदार हजारी पुत्र ग्यारसा हि0 1/5 लादू पुत्र ग्यारसी हिस्सा 11/40 सन्तोष पत्नी रमेश कीर हिस्सा 1/4 बाबूलाल ज्ञानचन्द पुत्र सीमा नीतू पुत्रिया रतनी बेवा जमनालाल हिस्सा 11/40 दर्ज संयुक्त खातेदारी है। प्रार्थीया संलग्न नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शाये गये ख. नं. 3030 रकबा 0.07 है0 गै. मु. नाली सिवायचक में से होकर आगे ख. नं. 3194 रकबा 0.36 है0 किस्म बारानी खातेदार हजारी पुत्र ग्यारसा कीर के खातेदारी में से रास्ता मिलने पर ही प्रार्थीया अपने संयुक्त खेत ख. नं. 3192 में आ जा सकती है। प्रस्तावित रास्ते व खातेदारी के मध्य गै. मु. नाला है। मौके पर चाहे गये रास्ते ख. नं. 3030 में पत्थर पड़े हुए है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिये सहमत नही है। प्रार्थीया के खेत में जो संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है, सीसी रोड़ एवं मौके पर बने कच्चे रास्ते से आ जा सकती है। चाहा गया रास्ता खातेदारी में गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया की आराजी प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता तरमीम करवाये। इसके लिए नियमानुसार प्रार्थी प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं बताई है और अन्य रास्ता से प्रार्थीया अपनी आराजी में आ जा सकती है। अर्थात जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है प्रस्तावित रास्ते व खातेदारी के मध्य गै. मु. नाला है । सुखाचार व सुविधा के लिए धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सिवायचक मे से होकर अपनी जौत में जाने हेतु पहले से ही वैकल्पिक रास्ता है और अतः प्रार्थीया की भूमि और गै. मु. रास्ते के बीच गै. मु. नाला होने से व आराजी भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिकर रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली